बिहार सरकार
खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग
अधिसूचना

पत्रांक 2037/आ० वा० पटना–15, दिनांक–14 मई, 1992 ई० ।

प्रेषक,

श्री ईश्वर चन्द्र कुमार,

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः–जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के दूकानों द्वारा वितरण किये जाने वाले आवश्यक वस्तुओं पर निगरानी रखने हेतु पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर वितरण सह-निगरानी समिति के पुनर्गठन एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों के प्रावधान के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 632 दिनांक 24-2-1992 के क्रम में कहना है कि सरकार ने पुनर्विचार के पश्चात् निर्णय लिया है कि पंचायत एवं वार्ड स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति का गठन एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का चयन और मनोनयन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

पंचायत स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समितिः–

1. पंचायत का मुखिया : संयोजक ।

2. पंचायत का निकटतम वोटों से पराजित मुखिया के उम्मीदवार ।

3. पंचायत का सरपंच ।

4. पंचायत का निकटतम वोटों से पराजित सरपंच के उम्मीदवार ।

5. प्रखण्ड स्तर पर वितरण-सह-निगरानी समिति के अध्यक्ष द्वारा चयनित (पाँच) सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक-एक हरिजन/ आदिवासी महिला एवं अल्प-संख्यक को प्राथमिकता दी जाय, यदि उपरोक्त खंड-1,2,3 एवं 4 में वे नहीं हों ।

वार्ड स्तरीय वितरण-सह-निगरानी समिति
अनुभाजन एवं नगरपालिका क्षेत्र के लिये

1. अनुभाजन एवं नगरपालिका के उस वार्ड का वार्ड कौंसिलर ।

2. जिला के प्रभारी मंत्री, 20 सूत्री द्वारा मनोनीत वार्ड के 8 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें कम से कम

एक-एक हरिजन/ आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं महिला जरुर हों। इस समिति के संयोजक वार्ड कौंसिलर होंगे। वार्ड कौंसिलर के नहीं रहने पर संयोजक का मनोनयन जिला के प्रभारी मंत्री 20 सूत्री करेंगे।

अनुसूचित क्षेत्र के वार्ड के लिये

1. उस वार्ड के प्रक्षेत्र में रहनेवाले सभी वार्ड कमिशनर।

2. वार्ड प्रक्षेत्र में पड़नेवाले वार्ड कमिशनर के अतिरिक्त उतने सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें 9 (नौ) सदस्य पुरा हो जाय, जिनका मनोनयन जिला के प्रभारी मंत्री, 20 सूत्री करेंगे, जिसमें कम से कम एक महिला, एक हरिजन/ आदिवासी एवं एक अल्प संख्यक भी होंगे।

विशेष आमंत्रित सदस्य

कुछ जिलों में 9 (नौ) से अधिक विधान सभा क्षेत्र होने के कारण केवल 9 (नौ) सामाजिक कार्यकर्त्ता के मनोनयन से सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और अल्पसंख्यक, हरिजन/ आदिवासी एवं महिला का भी प्रतिनिधित्व में कठिनाई होती है। अतः वार्ड और पंचायत को छोड़कर सभी स्तर के समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्यों का भी प्रावधान होगा, जो 5 (पाँच) से अधिक नहीं होगा।

विश्वासभाजन

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक 2037 आ० वा० पटना-15, दिनांक 14 मई, 1992 ई०।

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक, खाद्य, एवं असैनिक आपूर्ति/ सभी अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) सभी विशिष्ट पदा० प्रभारी अनुभाजन/ सभी अनुमंडल पदा०/ सभी जिला आपूर्ति पदा०/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।